

<p>तारीख हुज्ज</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रमेश सुथार बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 190/2017</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>03.01.18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश सुथार पुत्र भूराराम सुथार,पता पीपली चौक, भीनमाल जिला जालोर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.10.17. में उसके द्वारा (1) मुख्य सचिव, प्रशासनकि सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.26(2)प्र.सु./सम./अनु-1/2010 जयपुर दिनांक 19.10.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	